



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238438
CG-DL-E-29082022-238438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3856]
No. 3856]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

का.आ. 4030(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, पाँच अधिक आयामी खेपों यथा: "सी 2 स्प्लिटर", "सी 3 रेक्टीफायर", "डेमेथेनाइजर रिफ्लक्स ड्रम", "स्ट्रिपर एंड एब्सॉर्बर -1" और "स्ट्रिपर एंड एब्सॉर्बर -2", का मुंद्रा पोर्ट, गुजरात से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में "सी 2 स्प्लिटर", "सी 3 रेक्टीफायर", "डेमेथेनाइजर रिफ्लक्स ड्रम", "स्ट्रिपर एंड एब्सॉर्बर -1" और "स्ट्रिपर एंड एब्सॉर्बर -2" के परिवहन के लिए, मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	एपी-35बी-1577	वोल्वो एचपी - 400
2	एपी-31टीबी-6596	वोल्वो एचपी - 400
3	एचआर-55जी-6419	वोल्वो एचपी - 520
4	एचआर-55एच-2992	वोल्वो एचपी - 520
5	एचआर-55के-3939	वोल्वो एचपी - 520
6	एचआर-55क्यू-2470	वोल्वो एचपी - 520
7	एचआर-55क्यू-2494	वोल्वो एचपी - 520
8	एमएच-06एक्यू-8261	वोल्वो एचपी - 520
9	एमएच-06एक्यू-8262	वोल्वो एचपी - 520
10	एमएच-06एक्यू-8263	वोल्वो एचपी - 520
11	एमएच-06एक्यू-8264	वोल्वो एचपी - 520
12	एमएच-06एक्यू-9262	वोल्वो एचपी - 520
13	एमएच-06एक्यू-9263	वोल्वो एचपी - 520
14	जीजे-12एयू-9693	वोल्वो एचपी - 520
15	जीजे-12एयू-9639	वोल्वो एचपी - 520

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं.	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एपी-31-टीबी-6592	गोल्डहोफ़र	4	104
2.	एपी-31-टीबी-6593	गोल्डहोफ़र	4	104
3.	एपी-31-टीबी-6594	गोल्डहोफ़र	4	104
4.	एपी-31-टीबी-6595	गोल्डहोफ़र	6	156
5.	एपी-31-टीबी-6596	गोल्डहोफ़र	6	156
6.	एमएच-06-एक्यू-8551	गोल्डहोफ़र	6	156
7.	एमएच-06-एक्यू-8552	गोल्डहोफ़र	6	156
8.	एमएच-06-एक्यू-8553	गोल्डहोफ़र	4	104
9.	एमएच-06-एक्यू-8554	गोल्डहोफ़र	4	104
10.	एमएच-46एच-0601	गोल्डहोफ़र	4	104
11.	एमएच-46एच-0602	गोल्डहोफ़र	4	104
12.	एमएच-46एच-0603	गोल्डहोफ़र	8	208
13.	एमएच-46-बीएम-2839	गोल्डहोफ़र	6	156
14.	एमएच-46-बीएम-2840	गोल्डहोफ़र	3	78
15.	एमएच-46-बीएम-2841	गोल्डहोफ़र	3	78
16.	एमएच-46-बीएम-2842	गोल्डहोफ़र	3	78
17.	एमएच-46-बीएम-2843	गोल्डहोफ़र	3	78
18.	एमएच-46-बीएम-2845	गोल्डहोफ़र	4	104
19.	एमएच-46-बीएम-2846	गोल्डहोफ़र	4	104
20.	एमएच-46-बीएम-2847	गोल्डहोफ़र	4	104

21.	जीजे-12-एयू-8365	गोल्डहोफ़र	6	156
22.	जीजे-12-एयू-8368	गोल्डहोफ़र	6	156
23.	जीजे-12-एयू-8364	गोल्डहोफ़र	4	104
24.	जीजे-12-एयू-8367	गोल्डहोफ़र	4	104
25.	एचआर-55क्यू-9904	गोल्डहोफ़र	8	208
26.	एचआर-55क्यू-9902	गोल्डहोफ़र	8	208
27.	एचआर-55क्यू-9903	गोल्डहोफ़र	6	156
28.	एचआर-55क्यू-9901	गोल्डहोफ़र	6	156
29.	एचआर-55पी-6280	गोल्डहोफ़र	6	156
30.	एचआर-55पी-6282	गोल्डहोफ़र	8	208
31.	एचआर-55पी-6278	गोल्डहोफ़र	6	156
32.	एचआर-55पी-6279	गोल्डहोफ़र	4	104
33.	एचआर-55पी-6281	गोल्डहोफ़र	4	104
34.	एमएच-46-2217	गोल्डहोफ़र	4	104
35.	एमएच-46-2218	गोल्डहोफ़र	4	104
36.	एमएच-46-2398	गोल्डहोफ़र	4	104
37.	एमएच-46-2219	गोल्डहोफ़र	6	156
38.	एमएच-46-2220	गोल्डहोफ़र	6	156
39.	एचआर-55एम-4304	गोल्डहोफ़र	8	208
40.	एचआर-55एम-4305	गोल्डहोफ़र	8	208
41.	एचआर-55एन-3236	गोल्डहोफ़र	4	104
42.	एचआर-55एन-3237	गोल्डहोफ़र	4	104

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार	यान का लदान के साथ भार	लोड प्रति एक्सल लाइन	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
सी 2 स्प्लिटर	91 टन	300 टन	391 टन	15.04 टन	लंबाई- 43.80 मी चौड़ाई- 7.10 मी ऊँचाई- 7.40 मी	26 धुरी पंक्तियों को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सी 3 रेक्टिफायर	126 टन	425.67 टन	551.67 टन	15.32 टन	लंबाई- 28.10 मी चौड़ाई- 9.70 मी ऊँचाई- 9.20 मी	18+18 धुरी पंक्तियों (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा।

						(16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
डेमेथेनाइजर रिफ्लक्स ड्रम	84 टन	335 टन	419 टन	17.46 टन	लंबाई- 35.80 मी चौड़ाई- 7.0 मी ऊँचाई- 8.20 मी	24 धुरी पंक्तियां को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
स्ट्रिपर एंड एक्सॉर्वर-1	126 टन	470 टन	596 टन	16.56 टन	लंबाई- 39.43 मी चौड़ाई- 8.40 मी ऊँचाई- 9.10 मी	24(1+1/2) धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
स्ट्रिपर एंड एक्सॉर्वर-2	126 टन	420 टन	546 टन	15.17 टन	लंबाई- 37.07 मी चौड़ाई- 8.30 मी ऊँचाई- 7.90 मी	24(1+1/2) धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग मुंद्रा पोर्ट, गुजरात से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पंचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

मुंद्रा पोर्ट - राशापुर सर्कल - टोडा गांव - प्रागपर - चंद्रोदा - अंजार बाईपास - जवाहर नगर - पडाना गांव - वर्साना गांव - नंदगांव जंक्शन - गोकुलगांव - पुराना चिराई - मोती चिराई - चोपडवा गांव - भचाऊ - बोंध गांव - छडवाड़ा - समखियाली - लकाडिया - खोडासर - मेवासा - गगोदर - मंगध - पलासावा - माखेल गांव - बामनसर गांव - अदेसर पुलिस चेक पोस्ट - पिपराला पुलिस चेक पोस्ट - संतालपुर - पर गांव - सुइगाम गांव - देवपुरा गांव - वाव गांव - खानपुर - थराड - खोडा गांव - गरदली सीमा राजस्थान -सांचोर शहर - गंधव खुर्द - बोरीगांव - रामजी का गोल - दाम की ढाणी - नया नगर - भटाला गांव - पायला गांव - अमरपुरा - सिंधरी - कलुडी गांव - तपारा गांव - असदा गांव - बालोतरा बाईपास - एचपीसीएल राजस्थान लिमिटेड, पंचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान । (547 किलोमीटर)

- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।
- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल (भाग-1)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2022

S.O. 4030(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of five over dimensional consignments namely; “C2 SPLITTER”, “C3 RECTIFIER”, “DEMETHANIZER REFLUX DRUM”, “STRIPPER AND ABSORBER-1” and “STRIPPER AND ABSORBER -2” from Mundra Port, Gujarat to HPCL Rajasthan Refinery Limited, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s. PRISM logistics Private Limited is the transporter of M/s. Larsen and Toubro Limited, for transportation of “C2 SPLITTER”, “C3 RECTIFIER”, “DEMETHANIZER REFLUX DRUM”, “STRIPPER AND ABSORBER-1” and “STRIPPER AND ABSORBER -2” for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	AP-35V-1577	Volvo HP-400
2.	AP-31TB-6596	Volvo HP-400
3.	HR-55G-6419	Volvo HP-520
4.	HR-55H-2992	Volvo HP-520
5.	HR-55K-3939	Volvo HP-520
6.	HR-55Q-2470	Volvo HP-520
7.	HR-55Q-2494	Volvo HP-520
8.	MH-06AQ-8261	Volvo HP-520
9.	MH-06AQ-8262	Volvo HP-520
10.	MH-06AQ-8263	Volvo HP-520
11.	MH-06AQ-8264	Volvo HP-520
12.	MH-06AQ-9262	Volvo HP-520
13.	MH-06AQ-9263	Volvo HP-520
14.	GJ-12AU-9693	Volvo HP-520
15.	GJ-12AU-9639	Volvo HP-520

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	AP-31-TB-6592	Goldhofer	4	104
2.	AP-31-TB-6593	Goldhofer	4	104
3.	AP-31-TB-6594	Goldhofer	4	104
4.	AP-31-TB-6595	Goldhofer	6	156
5.	AP-31-TB-6596	Goldhofer	6	156

6.	MH-06-AQ-8551	Goldhofer	6	156
7.	MH-06-AQ-8552	Goldhofer	6	156
8.	MH-06-AQ-8553	Goldhofer	4	104
9.	MH-06-AQ-8554	Goldhofer	4	104
10.	MH-46H-0601	Goldhofer	4	104
11.	MH-46H-0602	Goldhofer	4	104
12.	MH-46-H-0603	Goldhofer	8	208
13.	MH-46-BM-2839	Goldhofer	6	156
14.	MH-46-BM-2840	Goldhofer	3	78
15.	MH-46-BM-2841	Goldhofer	3	78
16.	MH-46-BM-2842	Goldhofer	3	78
17.	MH-46-BM-2843	Goldhofer	3	78
18.	MH-46-BM-2845	Goldhofer	4	104
19.	MH-46-BM-2846	Goldhofer	4	104
20.	MH-46-BM-2847	Goldhofer	4	104
21.	GJ-12-AU-8365	Goldhofer	6	156
22.	GJ-12-AU-8368	Goldhofer	6	156
23.	GJ-12-AU-8364	Goldhofer	4	104
24.	GJ-12-AU-8367	Goldhofer	4	104
25.	HR-55Q-9904	Goldhofer	8	208
26.	HR-55Q-9902	Goldhofer	8	208
27.	HR-55Q-9903	Goldhofer	6	156
28.	HR-55Q-9901	Goldhofer	6	156
29.	HR-55P-6280	Goldhofer	6	156
30.	HR-55P-6282	Goldhofer	8	208
31.	HR-55P-6278	Goldhofer	6	156
32.	HR-55P-6279	Goldhofer	4	104
33.	HR-55P-6281	Goldhofer	4	104
34.	MH-46-2217	Goldhofer	4	104
35.	MH-46-2218	Goldhofer	4	104
36.	MH-46-2398	Goldhofer	4	104
37.	MH-46-2219	Goldhofer	6	156
38.	MH-46-2220	Goldhofer	6	156
39.	HR-55M-4304	Goldhofer	8	208
40.	HR-55M-4305	Goldhofer	8	208
41.	HR-55N-3236	Goldhofer	4	104
42.	HR-55N-3237	Goldhofer	4	104

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:—

Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons	Weight of Consignment	Laden Weight of the Vehicle	Load Per Axle line	Overall dimension of consignment (in metre) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
C2 SPLITTER	91 MT	300 MT	391 MT	15.04 MT	L-43.80 m W-7.10 m H-7.40 m	26 axle rows will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
C3 RECTIFIER	126 MT	425.67 MT	551.67 MT	15.32 MT	L-28.10 m W-9.70 m H-9.20 m	18+18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
DEMETHANIZER REFLUX DRUM	84 MT	335 MT	419 MT	17.46 MT	L-35.80 m W-7.0 m H-8.20 m	24 axle rows will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
STRIPPER AND ABSORBER- 1	126 MT	470 MT	596 MT	16.56 MT	L-39.43 m W-8.40 m H-9.10 m	24(1+1/2) axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
STRIPPER AND ABSORBER- 2	126 MT	420 MT	546 MT	15.17 MT	L-37.07 m W-8.30 m H-7.90 m	24(1+1/2) axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:—

- The specific route for transportation of the consignments will be from Mundra Port, Gujarat to HPCL Rajasthan Refinery Limited, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road through-
Mundra Port - Rashapur Circle - Toda Village - Pragpar - Chandroda - Anjar Bypass - Jawahar Nagar - Padana Village - Varsana Village - Nandgaon Junction - Gokulgaon - Old Chirai - Moti Chirai - Chopadva Village - Bhachau - Vondh Village - Chhadvada - Samakhiyali - Lakadia - Khodasar - Mevasa - Gagodar - Mangadh - Palasava - Makhel Village - Bamansar Village - Adesar Police Check Post - Piprala Police Check Post - Santalpur - Par Village - Suigam Village - Devapura Village - Vav Village - Khanpur - Tharad - Khoda Village - Gardali Border Rajasthan -Sanchore City - Gandhav Khurd - Borigaon - Ramji Ka Gol - Dame Ki Dhani - Naya Nagar - Bhatala Village - Payla Village - Amarpura - Sindhari - Kaludi Village - Tapara Village - Asada Village - Balotra Bypass - HPCL Rajasthan Limited, Pachpadra, Barmer, Rajasthan. (547 Kms)
- Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s PRISM logistics Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat and Maharashtra.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/04/2022-MVL(part-1)]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.